छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

—:: अधिसूचना ::—

रायपुर दिनांक 07/10/2016

क्रमांक– 14243/एफ–8/89/PMFBY/2016/14–2 : : विभाग की अधिसूचना क्र./9283/एफ–08/89/PMFBY/2016/14–2 दिनांक 13.05.2016 के बिन्दु क्रमांक–13(ख) के प्रावधान अंतर्गत संचालक कृषि, छ.ग. द्वारा जिला–महासमुन्द के तह.–पिथौरा के 12 एवं तह.–बसना के 6 ग्राम पंचायतों में औसत से कम वर्षा की स्थिति में धान असिंचित फसल की अनुमानित उत्पादकता निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित मानते हुए दावा की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई है।

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त प्रावधान के तहत पिथौरा एवं बसना तहसील के अधिसूचित बीमा इकाई (ग्राम पंचायत) जिनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट–1 पर है, को मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु पात्र क्षेत्र घोषित करती है। इन क्षेत्रों के ऐसे समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों जिन्होनें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना **खरीफ 2016 में धान असिंचित फसल** हेतु निर्धारित प्रीमियम अदा कर बीमा आवरण प्राप्त किया है, योजनान्तर्गत निम्न शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे–

(1) इस विभाग के आदेश क्र./11890/एफ–08/89/PMFBY/2016–17/14–2 दिनांक 06.08.2016 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 11892 दिनांक 06.08.2016 द्वारा गठित जिला/तहसील स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा योजना प्रावधानों के अनुरूप उक्त क्षेत्र में संभावित क्षति का मूल्यांकन करेगी।

(2) उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुमानित उपज, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित होने की स्थिति में संभावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान फसल मौसम के दौरान देय होगा। यह क्षतिपूर्ति राशि अधिसूचित क्षेत्रों में योजनान्तर्गत किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर निर्धारित अंतिम दावा राशि में समायोजित की जायेगी।

(3) यदि फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर निर्धारित अंतिम दावा राशि से अधिक राशि का भुगतान उक्त अधिसूचित क्षेत्रों के कृषकों को इस प्रावधान के अंतर्गत किया जाना पाया जाता है तो ऐसी समस्त राशि कृषक द्वारा वापस की जानी होगी।

(4) संयुक्त समिति द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु दावा राशि का प्रस्ताव संचालनालय कृषि, छ.ग. को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर संचालक कृषि के अनुशंसा उपरांत कियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा।

संलग्नः परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पैकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

D:\Office File-2016\Bhoi Sir\Letter.doc

कमश

पृष्ठां. क्र. /14244/एफ–08/89/PMFBY/2016/14–2 रायपुर दिनाँक 07/11/2016
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
3. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
5. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/सहकारिता/कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर।
8. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर।
9. संचालक, संस्थागत वित्त/कृषि/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर।
10. कलेक्टर, जिला–महासमुन्द, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।
12. महानिदेशक, छ.ग. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
13. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) रायपुर।
14. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर।
15. महाप्रबंधक, छ.ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायपुर।
16. निदेशक, केन्द्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर।
17. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर।
19. व्यवसाय प्रमुख, ईफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी रायपुर, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर, छ.ग.।
21. उप संचालक कृषि, जिला– महासमुन्द, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त सचिव 7/11/16
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट–1

जिला–महासमुन्द, तह.–पिथौरा, रा.नि.मं.–पिथौरा

क.	ग्राम पंचायत	फसल
1	भिथिडीह	धान असिंचित
2	सरकड़ा	धान असिंचित
3	भुरकोनी	धान असिंचित
4	सोहागपुर	धान असिंचित
5	नवागांव	धान असिंचित
6	कोदोपाली	धान असिंचित
7	कोल्दा	धान असिंचित
8	चरौदा	धान असिंचित
9	लिलेसर	धान असिंचित
10	अठारहगुड़ी	धान असिंचित
11	नवागांव खुर्द	धान असिंचित
12	बिराजपाली	धान असिंचित

जिला–महासमुन्द, तह.–बसना, रा.नि.मं.–बसना

क.	ग्राम पंचायत	फसल
1	पलसापाली (अ)	धान असिंचित
2	अंकोरी	धान असिंचित
3	ठाकुरपाली	धान असिंचित
4	कायतपाली	धान असिंचित
5	देवरी	धान असिंचित
6	साल्हेझरिया	धान असिंचित

A-372
24/11/16